

प्रपत्र
[नियम II (1) (ख)]
वारदात की सूचना

दिनांक :

श्रीमान् /

1. आपको (माता/पिता/आभिभावक/सम्बन्धित अधिकारी), (पुत्री/पुत्र) इस आशय से सूचना दी जा रही है कि...
..... (बच्चे का नाम जिस विधि के विरुद्ध वह गया है) उसे उसे अधिनियम के विरुद्ध चले जाने के आधार(धाराएँ)(पुलिस थाना) पर(दिनांक एवं समय) रोक लिया गया है।
2. उपरिस्थितियों का विवरण जिसके तहत बच्चों तथाकथित विधि में विरुद्ध चला गया था और उसे पाया गया है कि वह विधि के विरुद्ध गया है।
3. बच्चा(नाम) रखा गया है(उस जगह का नाम जहां उस समय बच्चा रखा गया है) और उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष(तारीख समय) ले जाया जा रहा है(किशोर न्याय बोर्ड का पूरा पता) और आप से अनुरोध की वहां उपस्थित रहें।

विशेष किशोर पुलिस ईकाई के सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर/पुलिस थाने के इन्वार्ज का नाम वह स्ताक्षर (पुलिस थाने का नाम दिनांक)।

1. किशोर न्याय बोर्ड (पूरा पता)
2. सम्बन्धित परिवीक्षा अधिकारी।

प्रपत्र

व्यक्तिगत तलाशी प्रपत्र (सर्च मेमो)

एफ0आई0आर0 / डेली डायरी नं0..... धारा..... दिनांक..... पुलिस थाना.....

.....जिला..... प्रदेश निम्नलिखित गवाहों की मौजूदगी में व्यक्तिगत तालाशी ली।

पुत्र.....

पता.....

फोन नं0.....

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के तहत हुई और निम्नलिखित समान उसके से बरामत हुई और जिसे इस मेमो के तहत पुलिस थाने लाया गया।

1.....

2.....

3.....

4.....

गवाहों का पूरा नाम व पता :-

1.....

2.....

बाल कल्याण अधिकारी

पुलिस थाना.....

दिनांक:.....

प्रपत्र

चिकित्सा परीक्षण के लिए आवेदन

केस एफ0आई0आर0 / डेली डायरी नं0..... दिनांक..... धारा..... पुलिस थाना

..... जिला..... प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

.....

.....

विषय: प्रदेश चिकित्सा जांच के लिए निबन्ध।

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन है कि मैं मास्टर/बेबी को..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
..... निवासी..... आय..... की
अभिरक्षा/संरक्षण में 1 कान्सटेबल..... नं0..... 2. कान्सटेबल.....
..... नं0 के साथ भेज रहा हूँ।

अतः आप से निवेदन है कि कृपया बच्चे/रोगी की चिकित्सा जांच करें और उसके छोट/बीमारी के विषय में गय दें।

धन्यवाद!

बाल कल्याण अधिकारी का नाम.....

पुलिस थाना.....

जिला.....

दिनांक.....

प्रपत्र

सामाजिक पृष्ठ भूमि रिपोर्ट

किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) नियमावली, 2007 के अन्तर्गत

नियम 11 (6) के तहत

व्यक्तिगत इतिहास

1. बच्चे का नाम.....
2. उम्र (प्रमाण पत्र / दस्तावेज संलग्न करें).....
3. लिंग.....
4. धर्म.....
5. जति.....
6. शैक्षिक योग्यता (बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है
स्कूल का नाम.....
स्कूल का नाम (यदि बच्चे स्कूल छोड़ चुका है तो अन्तिम स्कूल)
7. क्या बच्चा काम करता है (यदि हां तो विवरण दें) :- हाँ / ना.....
नाम का प्रकार.....
काम का स्थान.....
काम के स्थान का पता.....
मालिक / कम्पनी का नाम.....
फोन नं0.....
8. निवास पता / सम्पर्क नम्बर (लैण्ड मार्क के साथ) :-
वर्तमान पता.....
फोन नं0.....
स्थायी पता.....
फोन नं0..... लैण्ड मार्क

9. क्या बच्चों का नशा (ड्रग / शराब / तम्बाकू) लेने का इतिहास है
यदि हाँ तो विवरण दें.....

पारिवारिक पृष्ठ भूमि	नाम / उम्र	स्वास्थ्य विकलांगता यदि कोई है तो	शिक्षा	व्यवसाय	मसिक आमदनी	ड्रग, शराब, तम्बाकू केवल की कोई आपत
परिवार के सदस्य						
पिता						
माता						
भाई-बहन (अगर विवारित है तो स्पष्ट करें)						
कोई अन्य विधिक अभिभावक						

10. वरदात का दिनांक समय एवं स्थान
11. मता-पिता/अभिभावक / सम्बन्धित व्यक्ति का सूचना देने का दिनांक, समय एवं स्थान.....
.....पुलिस थाने की सूचना.....डेली डायरी नं.....
12. पुलिस/बाल कल्याण अधिकारी के अभिरक्षा में बच्चा वहां रखा गयाबाल कल्याण अधिकारी/पुलिस अधिकारी का नाम जिसमें अभिरक्षा में बच्चा रखा गया.....
.....
13. मामले की पृष्ठभूमि
डेली डायरी नं0.....एफ0आई0आर. नं0.....पुलिस थाना.....
अधिनियम की धारा.....इस मामले में कोई व्यस्क सलिप्त है (यदि हाँ तो विवरण दें).....
.....मामले की जांच/देखने वाले अधिकारी का नाम व सम्पर्क नं0.....
... पी0आई0 नं0.....फोन नं0.....बाल अधिनियम का नाम व सम्पर्क नं0.....पी0आई0एस0नं0.....
फोन नं0.....

दिनांक:.....

बाल कल्याण अधिकारी का नाम व
हस्ताक्षर

प्रपत्र

अन्डरटेकिंग

माता—पिता/अभिभावक/सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अन्डरटेकिंग दी जाएगी जिसे संरक्षण में विधि विरुद्ध बच्चे/देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जा रहा है।

केस नं0..... का 20..... विधि विरुद्ध/देख रेख संरक्षण
की आवश्यकता में पाया गया है, और अदा इनकी देख रेख एवं निगरानी में रखा जा रहा है। (नाम).....
..... (पता).....

जिसकी निम्नलिखित शर्तें है :-

1. बच्चा, जब और जैसे आवश्यकता/होगी किशोर न्याय न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. बच्चा मेरे संरक्षण में रहेगा
3. बच्चा निवास करेगा (पता) और बच्चे के रहने का स्थान बिना बाल कल्याण अधिकारी/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति को बताए बदला नहीं जाएगा।
4. बच्चा स्कूल जाएगा
5. बच्चे को इस बात की आज्ञा होगी कि वह सम्मान जनक जीविका प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सके।
6. मैं बच्चों के लिए पूरी सुरक्षा, शिक्षा और कल्याण के साधन जुटाऊंगा।
7. बच्चे का अवांछनीय तत्वों के साथ मिलने की आज्ञा वहीं होगी जिससे की मुझे दुबारा विधि विरुद्ध जाने से रोका जा सके।
8. बच्चों को झ्रग/ या अन्य कोई नशीला पदार्थ लेने से रोका जाएगा।

दिन..... दिनांक..... 20.....

हस्ताक्षर माता—पिता/अभिभावक/सम्बन्धित व्यक्ति

काउंटर हस्ताक्षर

बाल कल्याण अधिकारी

पुलिस थाना

जिला, प्रदेश